

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या  
12/47/19

प्रवेश तिथि  
20-06-2019

निर्णय दिनांक  
10-11-2020

01. सुन्दर लाल वर्मा पुत्र कन्हैया लाल निवासी ग्राम विलेटा उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत विलेटा तहसील रैणी जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी राजगढ,  
दिनांक 29-05-2019 वावत प्राधिकार पत्र संख्या  
788/1994

उपस्थित:-

01. श्री श्योराम सिंह नरुका  
02. विभागीय पैरोकार

-वकील अपीलान्ट  
-रेस्पोंडेण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील उप खण्ड अधिकारी राजगढ, अलवर के निर्णय दिनांक 29-05-2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 788/1994 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विना अपीलान्ट को सुने निलंबित किया है। उप खण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 29.05.19 को निलंबित किया गया था। तहत अदालत द्वारा पूर्व में भी अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 13.6.18 पारित किया गया उस आदेश की अपील संख्या 12/84/18 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.18 को आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत को रिमान्ड की गई कि वें अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए खाद्य सुरक्षा योजाना के पत्र उपभोक्ताओं के वितरण किया जाना था का पॉस मशीन के माध्यम से फर्जी ट्रांजेक्शन का गबन पाया जाता है तो नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाई जावें। तहत अदालत द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं की गई, तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 4.2.19 को नोटिस जारी किया जिसमें अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने बाबत कहा गया, जिस अपीलान्ट दिनांक 7.2.19 को लिखित प्रा0पत्र सहित उपस्थित हुआ और जबाब हेतु अवसर चाहा, तहत अदालत से सुनवाई रखने के लिए दिनांक 12.2.19 नोटिस जारी होने पर दिनांक 18.2.19 को तहत अदालत के समक्ष मय दस्तावेज पेश किया जो


जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)

अपील मीमो में सलंग्न है। तहत अदालत के समक्ष जो जवाब एवं दस्तावेज पेश किये थे, उसके पश्चात् अपीलान्त बार-बार चक्कर लगाने एवं गवाह ले जाने के बावजूद भी अपीलान्त के या उसके गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं कराये गये, और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया और ना ही आगामी तारीख पेशी दी गई। अपीलान्त को सुने एव साक्ष्य लिए बिना एकपक्षीय रूप में दिनांक 29.5.19 अपीलीय आदेश पारित करते हुए अपीलान्त का प्राधिकार पत्र पूर्व में जारी किये गये निर्णय दिनांक 13.6.18 को दोहराते हुए निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार रैणी की जांच रिपोर्ट पत्रावली पर थी जो अपीलान्त के पक्ष में थी। तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा जो जांच तैयार की गई जो जांच अपीलान्त के पक्ष में रही है जिसके जरिये कोई आरोप प्रमाणित नहीं था उसको भी स्वीकार नहीं करने बाबत तथ्य दर्ज नहीं किये गये तहत अदालत द्वारा पूर्ववर्ती दिनांक 13.6.18 को बहाल रखते हुए प्रवर्तन निरीक्षक दिनेश चौबे की रिपोर्ट को आलोच्य निर्णय का आधार बनाया गया जो विधि विरुद्ध है। अपीलान्त के विरुद्ध जिन उपभोक्ताओं की शिकायत मानी गई उन उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से बॉयामैट्रिक सिस्टम से उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया गया और राशन सामग्री प्राप्त करने वाला उपभोक्ता द्वारा अपना आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, के माध्यम से अंगूठा लगाकर राशन सामग्री प्राप्त की गई है, और मौके पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री की स्लीप भी दी गई है। उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त राशन सामग्री की डीएसओ कार्यालय को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर संलग्न की जा रही है। प्रकरण में 03 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई-प्रथम जांच रिपोर्ट दिनांक 02.11.17 तहसीलदार रैणी द्वारा की गई जिसमें अपीलान्त के विरुद्ध कोई भी गबन का आरोप प्रमाणित नहीं था। राजनैतिक दबाव के चलते अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के लिए-द्वितीय जांच रिपोर्ट दिनांक 16.1.18 प्रवर्तन निरीक्षक रैणी श्री दिनेश चौबे द्वारा तैयार की गई जिसमें अपीलान्त के विरुद्ध कोई गबन का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, जिसके पश्चात् येनकेन अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के लिए-तृतीय जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.18 तीन प्रवर्तन निरीक्षकों श्री हरि प्रसाद, श्री कृष्ण कुमार बायला एवं सुश्री रिंकी द्वारा तैयार की गई जो जांच अपीलान्त के पक्ष में रही है जिसके जरिये कोई आरोप प्रमाणित नहीं था। जांच रिपोर्ट में अपीलान्त के खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित होता तो अवश्य ही अपीलान्त को कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता। अपीलान्त के विरुद्ध कोई आरोप नहीं था जिस कारण से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब कारण बताओं नोटिस जारी ही नहीं किया गया है तो आरोप ही नहीं बताये, सुनाये गये, उस अवस्था में अपीलान्त का प्राधिकार पत्र विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की खुले रूप से अवहेलना करते हुए निरस्त किया गया है। प्रथम जांच तहसीलदार रैणी द्वारा दिनांक 02.11.17 को की गई उस समय एक प्रार्थना पत्र उनके समक्ष पेश किया जिसमें अपीलान्त द्वारा उचित मूल्य सामग्री बाबत किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई जिस तथ्य पर तहत अदालत ने द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया, जांच अधिकारी ने उपभोक्ताओं एवं शिकायकर्ताओं के बयान लिये एवं शपथ पत्र जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत बिलेटा, उप

जिला कलेक्टर  
भालुघर (राज.)

सरपंच, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नं० 17 पूनम यादव के द्वारा लिखित में कथन किया कि अपीलान्ट के विरुद्ध पेश शिकायत झूठी व निराधार है, उपभोक्ताओं ने वितरण एवं व्यवहार बहुत अच्छा होना एवं संतुष्ट होना जाहिर किया गया है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि शिकायत झूठी व निराधार माना है। द्वितीय जांच प्रवर्तन निरीक्षक दिनेश चौबे द्वारा दिनांक 16.1.18 को गई वक्त उपभोक्ताओं के शपथ पत्र जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत बिलेटा, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नं० 17 के द्वारा लिखित में कथन किया की अपीलान्ट के विरुद्ध पेश शिकायत झूठी व निराधार है। रिपोर्ट के चरण सं० 7 में दर्ज किया हुआ है कि उपभोक्ता कल्ली, श्योदान, साकरण, अयूबखां, कल्लूखां, मीनादेवी, रेखादेवी, रबिना देवी आदि उपभोक्ताओं ने डीलर की वितरण व्यवस्था से संतुष्ट है। तहत अदालत ने अपने निर्णय में जो शिकायतकर्ता एवं उपभोक्ताओं के नाम व क्रमांक दर्ज किये है जिनके आधार पर गलत निर्णय किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जानबूझकर वितरण गलत रूप में दर्ज किया गया है। तृतीय जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.18 को जांच की गई उसमें आरोपी डीलर तथा एकपक्ष को ही सुना गया है, जांच कमेटी द्वारा शिकायतकर्ताओं को नहीं सुना गया जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है। पीडित पक्ष को नहीं सुना गया है जांच कमेटी की रिपोर्ट सामूहीन है। तहत अदालत द्वारा निर्णय करने से पूर्व कारण बताओं नोटिस, आरोप पत्र जारी करना चाहिए था जवाब लेना चाहिए था, और समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था लेकिन तहत अदालत ने ऐसा नहीं किया। पॉस मशीन में उपभोक्ता के द्वारा बिना फिंगर प्रिन्ट दिये राशन सामग्री का वितरण नहीं होता है और राशन डीलर उपभोक्ता के उपस्थित हुए बिना राशन सामग्री का वितरण नहीं कर सकता है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जबाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृत्ति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। उप खण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पेशकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के विरुद्ध उपभोक्ताओं के राशनकार्डों के पॉस ट्रान्जेक्शनस तथा राशन कार्डों में भौतिक प्रविष्टियों का मिलान किया गया, राशन डीलर द्वारा पॉस मशीन द्वारा किये गए ट्रॉन्जेक्शनस की राशन कार्डों में भौतिक प्रविष्टि नहीं की गई। डीलर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 49 कि. गेहूँ जो की खाद्य सुरक्षा योजना के पत्र उपभोक्ताओं के वितरण किया जाना था, पॉस मशीन के माध्यम से फर्जी ट्रॉन्जेक्शनस कर गबन किया जाना सिद्ध होता है तहत अदालत ने

  
जिला कलेक्टर  
बलसहर (राब०)

अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। तहत अदालत द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं वह अधिनियम के तहत पारित किये हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्त ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्त को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्त पर लगाये गये आरोप गंभीरी प्रवृत्ति के नहीं है। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्त के द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत ने इस न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 16.11.18 की पालना में अपीलान्त का नोटिस जारी किया गया तथा अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिया गया, अपीलान्त द्वारा जवाब नोटिस पेश किया गया, और जवाब नोटिस के साथ ग्राम पंचायत बीलेटा, उप सरपंच बीलेटा, सामुहिक बयान वार्ड पंच ग्राम पंचायत, सदस्य पंचायत समिति रैणी, एव अन्य लोगों के बयान प्रस्तुत किये गये हैं। तहत अदालत अपीलान्त सुनवाई एवं साक्ष्य को मौका दिया दिये जाने के उपरान्त ही अपना अपीलीय निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर उप खण्ड अधिकारी राजगढ का आदेश के दिनांक 29.5.2019 को यथावत् रखा जाता है। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ़तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय

में सनाया गया।



  
(आनन्दी)  
जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)